सं.0सं0–टी 03 / योजना–29 / 2009 (खंड 1)– 867

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना।

प्रेषक,

उप सचिव,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–15.05.2026

विषय– युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के राज्य स्कीम मशीनों का आधुनिकीकरण का वित्तीय वर्ष 2026–27 में अवधि विस्तार एवं कुल रूपये– 5000.00 लाख (पचास करोड़) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में कहना है कि बिहार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित कर शिक्षित युवक एवं युवतियों को विश्वस्तरीय तकनीशियन एवं कामगार बनाने के उद्देश्य से बिहार राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पुराने मशीनों के आधुनिकीकरण एवं नए मशीनों के क्रय किए जाने हेतु मशीनों का आधुनिकीकरण स्कीम का वित्तीय वर्ष 2026–27 में अवधि विस्तार एवं कुल रूपये 5000.00 लाख (पचास करोड़) मात्र की व्याय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य स्कीम के अन्तर्गत संबंधित सस्थानों /कार्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही आवंटन की स्वीकृति विभाग / सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा तथा इस राशि का आवंटन निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मांग पत्र के आधार पर आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

3. स्वीकृत राशि का व्यय मांग सं०–53 मुख्य शीर्ष–2230 श्रम रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष–03 प्रशिक्षण लघु शीर्ष 003– शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, उपशीर्ष– 0134 मशीनों का आधुनिकीकरण विपत्र कोड–53–2230030030134 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 ने उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस स्कीम हेतु उद्व्यय एवं बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2026–2027 में उपलब्ध है।

5. यह चालू योजना है।

6. इस स्कीम के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

7. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या– टी3 / योजना–29 / 2009 (खंड 1) के पृष्ठ–40 / टि0, विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या– टी–3 / योजना–29 / 2009 (खंड 1) के पृष्ठ –40 / टि0 एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– टी3 / योजना–29 / 2009 (खंड 1) के पृष्ठ –37 / टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

S. Dayal 14/5/26

(शंकर दयाल)
उप सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास
विभाग।

ज्ञापांकः— टी 3/योजना—29/2009 (खड 1) 867 पटना दिनांक— 15.05.2026

प्रतिलिपिः— योजना एवं विकास विभाग (दो प्रति में)/वित्त विभाग (दो प्रति में)/सचिव के आप्त सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग /आंतरिक वित्तीय सलाहकार युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/योजना, बजट एव क्रय शाखा, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Aoyal 14/5/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांकः— टी 3/योजना—29/2009 (खड 1) 867 पटना दिनाक 15.05.2026

प्रतिलिपिः— सभी जिला पदाधिकारी /सभी कोषागार पदाधिकारी /सभी प्राचार्य /प्रभारी प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

S. Aoyal 14/5/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।